सेवा में,

प्रकाशन नियन्त्रक/ जन सूचना अधिकारी

प्रकाशन विभाग

भारत सरकार,

नई दिल्ली

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त करने के सम्बन्ध में!

प्रार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्नबिन्दुओं पर सूचनायें प्राप्त करना चाहता है, कृपया उसे वांछित सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करे।

1. नाम परिवर्तन करने हेतु क्या प्रकिया है ?
2. यदि कोई नाम परिवर्तन करा लेता है तो किसी भी परीक्षा/कोर्स के लिए आवेदन करने में (नाम परिवर्तन के बाद) वह नया नाम प्रयोग करेगा या पूर्ववत नाम ही मान्य होगा !
3. यदि किसी शैक्षिक कोर्स करने के बीच कोई नाम परिवर्तित करवाता है तो क्या नाम परिवर्तन के (गजट कापी मिलने पर) बाद शेष सेमेस्टर/शेष परीक्षा के लिए नये नाम का प्रयोग किया जा सकता है अथवा नहीं।
4. भारत के राजपत्र (गजट) के द्वारा नाम परिवर्तन कराने के बाद हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक आदि डिग्रियों के अभिलेखों में भी नाम परिवर्तन कराना आवश्यक है अथवा नहीं ?
5. यदि कोई संस्था, विश्वविद्यालय आदि नाम परिवर्तन हेतु गजट कॉपी को अपने यहॉ सम्बन्धित अभिलेखों में नाम परिवर्तन हेतु पर्याप्त न मानें या नाम परिवर्तित न करे तो उस संस्था आदि के विरूद्ध क्या वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है ?
6. क्या नाम परिवर्तन के पश्चात नये नाम से भारत के किसी भी चुनाव में (जिसमें प्रार्थी अर्ह हो) उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया जा सकता है?
7. यदि किसी व्यक्ति पर कोई मुकदमा चल रहा हो तो क्या वह भी नाम परिवर्तित करा सकता है या नही ?

कृते... Sandeep

दिनांक 22-04-2014

संदीप कुमार पुत्र श्री नन्हें लाल
ग्राम – पत्थर पुरवा, पोस्ट – बीबीपुर,
जिला – बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)
पिन – 225120

संलग्नक – 10 रूपये का पोस्टल आर्डर

पोस्टल आर्डर नम्बर – 28F 15 6611

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF PUBLICATION
CIVIL LINES, DELHI – 110 054.
Website: www.deptpub.nic.in
Email: acop-dep@nic.in (&) pub.dep@nic.in
TEL : 2381 7823 / 2381 9689 Fax: 2381 7846

फाइल नं० : 65 ए / ओ० एण्ड एम०/20005/2014 दिनांक 22 मई , 2014.

संदीप कुमार पुत्र श्री नन्हे लाल ।
ग्राम पत्थर पुरवा पोस्ट बीबीपुर
जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका दिनांक 22.4.2014 का आवेदन इस विभाग में दिनांक 25.4.2014 को प्राप्त हुआ है । मांगी गई बिन्दुवार सूचना निम्नवत है :-

1. नाम परिवर्तन की प्रक्रिया :-
   - क) दैनिक अखबार हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अपने नए, पुराने नाम, पिता का व घरेलू पते सहित छपवाएं व उसकी मुल प्रति आवेदन के साथ भेंजे ।
   - ख) रू 10/- के गैर-न्यायिक हलफनामा नोटरी या एस.डी.एम. के द्वारा प्रमाणित ।
   - ग) नाम परिवर्तन के मसौदे की दो प्रति टाईप की हुई या कम्पयुटर द्वारा निकाली गई प्रतियां जिसमें प्रार्थी के हस्ताक्षर व साथ में दो गवाहों के नाम, पता व हस्ताक्षर हो (प्रारूप संलग्न) ।
   - घ) एक सी.डी. कृतिदेव या चाणक्य या विवेक में नाम परिवर्तन के मसौदे सहित (हिन्दी में) या MS Word (अंग्रेजी में) ।
   - ड) दो फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित ।
   - च) एक सर्टिफिकेट (प्रारूप संलग्न) हस्ताक्षर सहित ।
   - छ) रू 770/- का ड्राफ्ट अथवा पोस्टल आर्डर द्वारा यदि डाक द्वारा भेजा जाता है तो अन्यथा यदि प्रार्थी स्वयं आये तो नकद रकम भी दे सकता है ।

2. नाम परिवर्तन कराने के उपरांत नया नाम ही प्रयोग में लाना होगा ।

3. शैक्षिक कोर्स के बीच नाम परिवर्तन करवाने के बाद शेष सेमेस्टर के लिए नया नाम प्रयोग कर सकता है।

4. भारत के राजपत्र में नाम परिवर्तन कराने के बाद हाईस्कूल, इन्टरमिडियट, स्नातक आदि पुराने अभिलेखों में नाम परिवर्तन कराना आवश्यक नहीं है ।

5 से 7. इस तरह का कोई प्रावधान या नियम इस कार्यालय में नहीं है । यदि आप

उपर्युक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो संयुक्त सचिव एवं प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, दिल्ली अपीलीय अधिकारी से अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

२२।५

(दिनेश चन्द्रा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी